संख्याः- 9 /2026/ 504/छिहत्तर-1-2026(2029198)

प्रेषक

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 05 मार्च, 2026

विषयः- उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से सम्बन्धित ग्रामीण पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने एवं उससे सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधीन पूर्व में निर्मित योजनाओं, ओल्ड रेट्रोफिटिंग, न्यू रेट्रोफिटिंग एवं रि-आर्गिनाइजेशन से सम्बन्धित योजनाओं को पूर्ण किये जाने की कार्यवाही विगत कई वर्षो से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) स्तर से की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो भी योजनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए भौतिक एवं वित्तीय क्लोजिंग तत्काल कराई जाए।

2- उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा क्रियान्वित करायी जा रही उपरोक्त पाइप पेयजल योजनाओं के लिए जो भी अधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी हैं, उनकी वार्षिक प्रविष्टि दिये जाते समय इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाए कि सम्बन्धित कार्मिक के प्रश्नगत योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु क्या दायित्व निर्धारित थे तथा उनके स्तर पर ऐसी कितनी योजनाएं वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित थी, उनमें से कितनी योजनाओं को भौतिक एवं वित्तीय रूप से क्लोज करा दिया गया है तथा कितनी अवशेष हैं।

3- इसी प्रकार उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की जो योजनाएं पूर्व में निर्मित थी अथवा ओल्ड रेट्रोफिटिंग, न्यू रेट्रोफिटिंग अथवा रिआर्गिनाइजेशन में थी, उन सभी के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सभी ग्रामों के सभी घरों में पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कृपया इन पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि के समय इस बात का उल्लेख अवश्य किया जाए कि वर्तमान में उनके जनपद में कितनी योजनांए पूर्ण रूप से एवं कितनी योजनाएं आंशिक रूप से संचालित हैं तथा कितनी योजनाएं पूर्ण रूप से बंद हैं। वार्षिक प्रविष्टि में यह भी उल्लेख किया जाए कि इन पाइप पेयजल योजनाओं को संचालित किये जाने के लिए उनके द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गए हैं।

4- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह व्यवस्था वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रमीण) से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों पर लागू की जाए।

भवदीय,

Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 05-03-2026
17:27:43

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव।

D:\2026\GO- 26.docx